न्यायालय आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 3036 /विधि सहरसा, दिनांक 12-10-2023

प्रतिलिपिः- भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सिमरी बख्तियारपुर को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा भूमि विवाद अपीलवाद सं0-102/2022 में दिनांक-10.10.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है साथ ही उनसे प्राप्त निम्न न्यायालय नामांतरण विविध वाद सं0-140/2021 से संबंधित अभिलेख कुल-54 पन्ना मूल में वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :-यथोपरि।

प्रतिलिपिः- भगवती प्रसाद सिंह, पिता-स्व0 महेश्वर सिंह उर्फ महेश्वर प्रसाद सिंह, सा0+पो0-सरडीहा अनुमंडल-सिमरी बख्तियापुर जिला-सहरसा हाल निवास-ग्राम+पो0-परसरमा, थाना व जिला-सुपौल / श्री कृष्णदेव सिंह, पिता-स्व0 भूदेव प्रसाद सिंह, सा0-जमुनिया, वार्ड नं0-04, मौजा-बलथी, अंचल-सिमरी बख्तियारपुर, जिला-सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- आई0टी0 असिस्टेंट, कोशी प्रमंडल, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड कर वापस करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

-भूमि विवाद अपीलवाद संख्याः–102/2022

भगवती प्रसाद सिंह.....अपीलकर्त्ता

–बनाम–

राज्य एवं अन्य.....रेसपॉण्डेन्ट

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत भूमि विवाद अपीलवाद भगवती प्रसाद सिंह, पिता–स्व0 महेश्वर सिंह उर्फ महेश्वर प्रसाद सिंह, सा0+पो0–सरडीहा, जिला–सहरसा हाल निवास–ग्राम+पो0–परसरमा, थाना व जिला–सुपौल के द्वारा न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सिमरी बख्तियारपुर में नामान्तरण विविध वाद सं0–140/2021 कृष्णदेव सिंह बनाम भगवती सिंह दायर किये जाने के विरूद्ध लाया गया है, जिसमें कृष्णदेव सिंह, पिता–स्व0 भूदेव सिंह, सा0–जमुनिया, वार्ड नं0–04, मौजा–बलथी, थाना–बख्तियारपुर, जिला–सहरसा को प्रतिवादी सं0–02 बनाया गया है।

प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्न है :–

मौजा/थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा	अभ्युक्ति
बिन्दपुरा/76	पुराना–85 नया–108	पुराना–79 नया–140	0–5–0 कट्ठा (पाँच कट्ठा)	

अपीलार्थी का मूलरूप से कहना है कि प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी की खतियानी भूमि है, जिसपर एकक्षण के लिए भी विपक्षी सं0–02 का कभी कोई हक व दखल नहीं हुआ। अपीलार्थी की अनुपस्थिति में विपक्षी सं0–02 के द्वारा उनकी प्रश्नगत भूमि से मिट्टी काट लिया गया, जबकि अपीलार्थी ने कभी भी कोई किरायापट्टा या बटाईदारी के निश्वत कोई कागजात विपक्षी के पक्ष में नहीं बनाया। उनका कहना है कि जब अपने हाल मकान पर परसरमा (सुपौल जिला से सरडीहा गया तो वादगत भूमि से मिट्टी कटा हुआ पाने पर विपक्षी सं0–02 से पूछने पर

विपक्षी के द्वारा उक्त भूमि बेच देने की बात की गई। अपीलार्थी के मना कर देने तथा भूमि से अपीलार्थी की गैरमौजूदगी में मिट्टी काटने हेतु पंचायत किये जाने पर विपक्षी के द्वारा पंचायत की बात नहीं सुनी गई तथा अपीलार्थी के विरूद्ध उक्त विविध नामान्तरण वाद मनगढंत कहानी के आधार पर दायर कर दिया गया। अपीलार्थी का कहना है कि हाल सर्वे खतियान एवं पुराना सर्वे खतियान भी उनके पूर्वज के नाम से है तथा अद्यतन मालगुजारी अदा कर वे रसीद प्राप्त करते आ रहे हैं इससे साबित होता है कि दूर-दूर तक विपक्षी का प्रश्नगत भूमि से कोई इलाका वो सरोकार नहीं था व न है। उनका कहना है कि विपक्षी गलत रूप से एडवर्स पोजीशन का दावा करते हैं, क्योंकि उनके पास इस आशय का कोई आधार नहीं है। अपीलार्थी का कहना है कि निम्न न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सिमरी बख्तियारपुर को भूमि पर मालिकाना हक निर्धारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। विपक्षी सं0-02 के द्वारा निम्न न्यायालय के समक्ष जमीन से संबंधित अथवा अपीलार्थी (खतियानी रैयत) द्वारा निष्पादित कोई सबूत कागजात नहीं दिया गया, किन्तु बगैर सबूत कागजात के ही विपक्षी के बाद को उनके प्रभाव/मेल के आकर स्वीकार किया गया। उक्त के आलोक में अपीलार्थी के द्वारा निम्न न्यायालय के द्वारा बिना साक्ष्य/सबूत के विपक्षी द्वारा दाखिल वाद को सुनवाई हेतु अभिसार किये जाने संबंधी दिनांक 04.10.2021 के आदेश को विखण्डित करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी की ओर से उनके विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा जवाब दाखिल नहीं किया गया और न ही किसी प्रकार का साक्ष्य/सबूत समर्पित किया गया। निम्न न्यायालय अभिलेख में संलग्न आवेदक (प्रस्तुत वाद में विपक्षी) के वादपत्र के अवलोकन से प्रतीत होता है कि निम्न न्यायालय में उनके द्वारा प्रतिकूल अधिकार सम्पत्ति नियम के आधार पर उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि पर विगत 31 वर्षो से अपने दखल-कब्जा के आधार पर मालिकाना हक प्राप्त करने हेतु वाद दायर किया गया है। उनके द्वारा बताया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सिविल अपील सं0-7764/2014 में दिनांक 07.08.2019 को प्रतिकूल अधिकार सम्पत्ति नियम के संबंध में पारित आदेश के अनुसार यदि भूस्वामी द्वारा अभिधारी कब्जेदार से 12 वर्ष के अन्दर कब्जे का प्रत्युद्धरण (वापस) नहीं लिया जाय तो भू-स्वामी का अधिकार उस सम्पत्ति पर से समाप्त हो जाता है। प्रतिकूल अधिकार की 03 (तीन) शर्त्ते निर्धारित की गई है :-

1.शांतिपूर्ण कब्जा यानि किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ है।

2. सर्वविदित होना समाज के प्रत्येक आदमी को प्राप्त होना।।

3,लगातार कब्जा होना।

उक्त के द्वारा बताया गया है कि उपरोक्त शर्त्तों को पूरा करने वाले दाबेदार को मालिकाना हक भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के द्वारा दिये जाने का प्रावधान है, जो परिसीमा अधिनियम, 1963 अनुसूची सं0-66,67 पर अंकित है। विपक्षी का उक्त वादपत्र में कहना है कि प्रश्नगत जमीन विपक्षी (प्रस्तुत वाद के अपीलार्थी) की है, जिसे 1990 में चिमनी भट्ठा चलाने हेतु आवेदक को उचित कीमत लेकर दिया गया। उक्त जमीन पर चिमनी भट्ठा चलाने के बाद पोखर बनवाकर वे मछली पालन करने लगे तथा पोखर के चारों ओर पेड़ लगवाकर विगत 31 वर्षो से शांतिपूर्ण दखलकार रहे हैं। विपक्षी (प्रस्तुत वाद के अपीलार्थी) के द्वारा भविष्य में बेदखली की परिस्थिति उत्पन्न किये जाने की आशंका के कारण आवेदक के द्वारा सरकारी प्रावधानानुसार एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में उक्त वाद निम्न न्यायालय में दायर करना बताया गया है। उक्त के आलोक में उनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा निम्न न्यायालय को उक्त वाद की सुनवाई के उपरान्त उचित अनुतोष पारित करने हेतु आदेश देने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष को सुनने के उपरांत उपर्युक्त तथ्यों, उनके द्वारा समर्पित साक्ष्यों एवं अभिलेख पर रक्षित कागजातों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख/संचिका के परिशीलनोंपरांत परिलक्षित होता है कि अपीलार्थी के वादपत्र अथवा उनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया, जा सका कि प्रस्तुत वाद किस नियम/अधिनियम के तहत लाया गया है। निम्न न्यायालय के जिस वाद के विरूद्ध यह अपील दायर किया गया है, उसमें अंतिम आदेश पारित नहीं है। उक्त के आलोक में प्रस्तुत अपीलवाद को इस न्यायालय में पोषणीय (Maintainable) नहीं पाते हुए खारिज किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इसकी सूचना सभी संबंधितों को देते हुए निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका/अभिलेख संबंधित कार्यालय को वापस करें।

10/10/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

लेखापित एवं संशोधित।

10/10/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।